



बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का उपक्रम)

राजापुर पुल के पास, पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना।

संख्या - 211

दिनांक - 21.05.2021

-: कार्यालय आदेश :-

Munger STP and Sewerage Network (NIT.No- BUIDCo/Yo-1234/2019-54 (In-NMCG-102757-CW-RFB), dated-05-08-2019 योजना की निविदा में M/s LC Infra द्वारा भाग लिया गया था। निविदा में गलत दस्तावेज समर्पित करने के कारण M/s LC Infra Project Pvt. Ltd. को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बुडको के आदेश संख्या 7558, दिनांक 04.11.2020 से एक वर्ष के लिए कालीकृत किया गया था।

उपरोक्त आदेश के विरुद्ध M/s LC Infra Project Pvt. Ltd. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका (CWJC No. 8973 of 2020) दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.03.2021 को M/s LC Infra Project Pvt. Ltd. की याचिका (CWJC No. 8973 of 2020) में आदेश पारित किया गया है जिसके कंडिका 24 में निम्नवत निदेश दिये गये -

"The order dated 04.11.2020 passed by Respondent No. 2 / Chief Engineer, Design, Planning & Monitoring, BUIDCo vide Memo No. 7558 is hereby quashed and the Respondent No. 2 / Chief Engineer, Design, Planning & Monitoring, BUIDCo is hereby directed to release the amount of earnest money of Rs. 3,40,00,0000/- (Three Crore Forty Lakh) deposited by the petitioner in the form of bank guarantee in case Patna High Court CWJC No.8973 of 2020(9) dt.25-03-2021 15/15 the bank guarantee has been invoked by the respondent authorities and if the same has not been invoked, the petitioner is discharged from its liability to renew the bank guarantee."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समीक्षोपरान्त दिनांक 19.05.2021 की Technical Bid Evaluation Committee की बैठक में निर्णय लिया गया कि M/s LC Infra Project Pvt. Ltd. के Blacklisting के आदेश को निरस्त करने संबंध में सक्षम प्राधिकार मुख्य अभियंता, आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश, तदोपरान्त Technical Bid Evaluation Committee की दिनांक 19.05.2021 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बुडको के आदेश संख्या 7558, दिनांक 04.11.2020 द्वारा M/s LC Infra Project Pvt. Ltd. को एक वर्ष के लिए कालीकृत करने संबंधी आदेश को निरस्त/रद्द किया जाता है।

ह/ -

मुख्य अभियंता,

आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण,
न० वि० एवं आ० वि० (बुडको)।

ज्ञापांक - 3496

दिनांक - 21.05.2021

प्रतिलिपि - M/s LC Infra Project Pvt. Ltd. को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता,

आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण,
न० वि० एवं आ० वि० (बुडको)।